<u>बिहार सरकार</u>

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक 317083 पटना, दिनांक 12/7/2017

प्रेषक,

सी0पी0 खण्डुजा

निदेशक (सामाजिक वानिकी)

सेवा में,

सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/उपविकास आयुक्त,

विषय- **मनरेगा,प्रधान मंत्री आवास योजना एवं इन्दिरा आवास योजना का वर्ष 2017-18 में राज्य गुणवता अनुश्रवको के दल द्वारा कार्य की गुण्वत्ता एवं कार्यान्वयन में गति प्रदान करने हेतु सहयोग के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में सूचित करना है कि वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार द्वारा बिहार में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को गुणवत्ता पुर्ण सम्पादन के साथ-साथ त्वरित गति प्रदान करने में गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्य गुणवतता अनुश्रवकों के अनुभवों का उपयोग करने का निर्णय लिया है। SQM का दल जिलें के विभिन्न पंचायतों का भ्रमण कर मनरेगा योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित हो रही योजनाओं की उपयोगिता का अनुश्रवण करने के साथ-साथ वर्ष 2017-18 के लक्ष्य प्राप्ति में आने वाले अवरोधों के दूर करने का प्रयास करेगा । साथ ही आवास योजना की गुणवत्ता एवं वर्ष 2017-18 के लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग प्रदान करेगा । जून 2017 में 10 जिलों में SQM दल के परिदर्शन का कार्यक्रम (विवरणी - 1) संलग्न है ।

2. SQM दल जिलें में निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार पॉच दिनों तक मनरेगा योजना एवं आवास योजनाओं के वर्ष 2017-18 के लक्ष्य के अनुरूप कार्यान्वित हो रहे योजनाओं की गुणवत्ता की विभिन्न सभी पहलुओ के जॉच के साथ-साथ लक्ष्य के प्राप्ति हेतु कार्य करेगें । भ्रमण के दरम्यान कार्यान्वित हो रही योजनाओं के साथ-साथ पूर्ण योजनाओं की गुणवत्ता की जॉच की जाएगी ताकि कार्य की गुणवतता एवं उपयोगिता स्पष्ट हो सके ।

3. SQM दल के आवासन की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा एक दिन पूर्व से परिदर्शन अवधि के लिए करायी जायेगी।

4. SQM जिलें में Randomly चयनित प्रखण्डो एवं पंचायतों में मनरेगा/इन्दिरा आवास योजना के कार्यो का तटस्थ मूल्यांकन करेगें, अत: सभी संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारियों/कर्मियों को रेकर्ड इत्यादि उपलब्ध कराने हेतु निदेश दे दी जाय एवं एक कोऑर्डिनेटर की भी प्रतिनियुक्ति कि जाए ।

5. SQM द्वारा पंचायत स्तर पर मनरेगा योजना के स्थिति का आकलन करते समय निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देना है :-

i. सृजित सम्पदा (Assets) का उल्लेख Assets Register में किया गया है या नहीं।

ii. कृषि लाभ के सृजित सम्पदा (Assets) यथा तालाब एवं भूमि विकास का वास्तविक उपयोग हो रहा है या नहीं । उदाहरणार्थ तालाब निर्मित किया गया तो उससे कितना एकड़ सिचाई हो रहा है एवं कितना मछली का उत्पादन हो रहा है, इत्यादि ।

iii. SC/ST मजदूर की न्यूनतम 40 प्रतिशत निर्धारित माप दंड के विरूद्ध वास्तव में कितना प्रतिशत मजदूर कार्यरत रहे ।

iv. महिला मजदूर की न्यूनतम 33 प्रतिशत निर्धारित माप दंड के विरूद्ध वास्तव में कितना प्रतिशत महिला मजदूर कार्यरत रहे।

v. मजदूरों को ससमय भुगतान की स्थिति एवं इससे संबंधित पंजियों की संधारण की व्यवस्था । विलम्ब के भुगतान के कारणों के पहचान कर उसको प्रतिवेदित करें ।

vi. वर्ष 2017-18 के फोकस एरिया के कार्यों (रोडसाइड वृक्षारोपण, आगंनवाडी केन्द्र, IHHL, वर्मी/नैडेप कम्पोस्ट) की योजनाओं की चयन की स्थिति ।

vii. कृषि एवं कृषि संबंधित गतिविधियों पर 2016-17 में किया गया कार्य का प्रतिशत क्या था यदि यह 60% से कम था तो उस बढानें के उपायों में प्रखण्ड/पंचायत पर मार्गदर्शन देगें ।

viii. वर्ष 2017-18 माहवार रोजगार उपलब्ध कराने का Data MIS पर देखकर और क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर अन्तर प्रखण्ड, अन्तर पंचायत- भारी अन्तर के विवेचन कर कारणों पर प्रकाश डाले ।

ix. वृक्षारोपण योजनाओं के निरीक्षण में उत्तराजीवित और पौधों के वृद्धि पर ध्यान दिया जाए ।

x. मजदूरी के भूगतान (Payment) का फिलहाल MIS पर Entered की गई विवरण के विरूद्ध वास्तव में काम नजर आ रहा है ।

xi. निरीक्षण के समय ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा कार्यकर्ता एवं प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय में विभागीय अनुदेश के अनुरूप 7 पंजियों के संधारण पर स्पष्ट मंतब्य प्रतिवेदन में देगें।

xii. पंचायत में ली जा रहीं योजनाओं के sustainability का उल्लेख भी प्रतिवेदन में आवश्यक है।

6. मनरेगा योजना एवं आवास योजनाओं के वर्ष 2017-18 के लक्ष्य के प्राप्ति एवं पूर्व के वर्षों में ली गई योजनाओं को पूर्ण करने हेतु जिलें में कौन-कौन से कदम उठाने की आवश्यकता है उसका उल्लेख प्रतिवेदन में रहना चाहिए ।

7. लेखा पदाधिकारी, BRDS प्रत्येक SQM दल को परिदर्शन अवधि हेतु एक-एक वाहन की व्यवस्था करेगें।

8. जिला प्रशासन द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण हेतु SQM को एक-एक अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराई जायेगी।

विश्वासभाजन

निदेशक, सामाजिक वानिकी ।

ज्ञापांक 317083 पटना, दिनांक 12/7/17

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित SQM को परिदर्शन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि वे यात्रा का तीन दिन मनरेगा एवं दो दिन आवास योजनाओं के निमित उपयोग में लायेंगे।

2. दल दो भाग में विभक्त होकर स्वततं रूप से कार्य कर प्रतिवेदन समर्पित करेगा ।

3. प्रत्येक दिन के कार्य का सार संक्षेप एवं कार्यबिन्दु तैयार रखेगें तथा यात्रा समाप्ति के उपरान्त परिदर्शन प्रतिवेदन के साथ ग्रामीण विकास विभाग को दो दिनों के अन्दर प्रतिवेदन समर्पित करेगें अन्यथा प्रतिवेदन मान्य नही होगा ।

निदेशक
(सामाजिक वानिकी)।

ज्ञापांक 317083 पटना, दिनांक 12/7/2017

प्रतिलिपि :- लेखा पदाधिकारी, BRDS पटना को सूचनार्थ एवं परिदर्शन कार्यक्रम के अनुरूप SQM दल को परिदर्शन अवधि से एक दिन पूर्व से एक-एक वाहन उपलब्ध कराने की कृपा करेगें ।

12/07

निदेशक
(सामाजिक वानिकी)।

विवरणी - 1

क्रम सं0	जिला का नाम	परिदर्शन अवधि	SQM का नाम
1	लखीसराय	24-28 जुलाई 2017	मो0 हासमुदिन एवं श्री नरेन्द्र प्रसाद सिंह ।
2	वैशाली	24-28 जुलाई 2017	श्री श्याम कुमार सिंह एवं श्री आर0आर0 चौबे ।
3	मुंगेर	24-28 जुलाई 2017	श्री रवि किशोर सिंह एवं श्री कामता प्रसाद सिंह ।
4	किशनगंज	24-28 जुलाई 2017	श्री जी0पी0 चौधरी एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद
5	शिवहर	31 जुलाई से 04 अगस्त 2017	श्री बिनोद कुमार दास एवं श्री दिनेश मिश्रा ।
6	अररिया	31 जुलाई से 04 अगस्त 2017	श्री नवेन्दु कुमार एवं श्री ब्रम्हा नन्द झा ।
7	सुपौल	31 जुलाई से 04 अगस्त 2017	श्री सीता चौधरी एवं श्री दिनदयाल तीवारी
8	कैमुर	31 जुलाई से 04 अगस्त 2017	श्री रामेश्वर प्रसाद एवं श्री मुकुल पाण्डेय ।
9	भागलपुर	7-11 अगस्त 2017	श्री जे0पी0 सहाय एवं श्री राम नरेश राम ।
10	जहानाबाद	7-11 अगस्त 2017	श्री राम निरंजन कुमार एवं श्री बंशीधर मिश्रा ।
11	बॉका	21-25 अगस्त 2017	श्री जे0पी0 सहाय एवं श्री राम नरेश राम ।
12	गोपालगंज	21-25 अगस्त 2017	श्री श्याम कुमार सिंह एवं श्री आर0आर0 चौबे ।
13	कटिहार	21-25 अगस्त 2017	श्री जी0पी0 चौधरी एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद
14	शेखपुरा	21-25 अगस्त 2017	मो0 हासमुदिन एवं श्री नरेन्द्र प्रसाद सिंह ।
15	रोहतास	21-25 अगस्त 2017	श्री रामेश्वर प्रसाद एवं श्री मुकुल पाण्डेय ।
16	औरगांबाद	04-08 सितम्बर 2017	श्री रवि किशोर सिंह एवं श्री कामता प्रसाद सिंह ।
17	बक्सर	04-08 सितम्बर 2017	श्री नवेन्दु कुमार एवं श्री ब्रम्हा नन्द झा ।
18	सीतामढी	04-08 सितम्बर 2017	श्री बिनोद कुमार दास एवं श्री दिनेश मिश्रा ।
19	सहरसा	04-08 सितम्बर 2017	श्री सीता चौधरी एवं श्री दिनदयाल तीवारी
20	अरवल	04-08 सितम्बर 2017	श्री राम निरंजन कुमार एवं श्री बंशीधर मिश्रा ।

निदेशक, सामाजिक वानिकी